सरकार बन सकती है । कांग्रेस ने किया है । लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनता दल गठजोड़ कर के सत्ता में कहीं आ जाए तो उनको विकास से कोई मतलब नहीं है । यह कुर्सी के लिए गठजोड़ कर सकते हैं । इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अंतर्गत गवर्नर शासन के अन्तर्गत जो भी पैसे की आवश्यकता है, 77,11,10,77,000/- निश्चित निधि निकालने की बात है, स्वीकृति दे दी जाए । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । जय हिन्द ।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992, which has been passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th August, 1993, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

---

(1) THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.
(2) THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.
(3) THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.
(4) THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993—*CONTD.*

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह दुखद बात है कि जिस विनियोग विधेयकों पर विधानसभाओं में विचार करना चाहिये, राज्यसभा को फिर दूसरी बार भी विचार करना पड़ रहा है । यह कोई देश का छोटा-मोटा हिस्सा नहीं है बल्कि एक विशाल आबादी है जहां हम प्रजातान्त्रिक पध्दति की सरकार से उनको वंचित रखे हुए हैं । यह किसी के लिए भी प्रसन्नता की बात नहीं है । इसलिए जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करना पड़ेगा । दूसरा कोई रास्ता नहीं है । लेकिन हमारे कांग्रेस के जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ है कि डिवाइन राइट आफ रूलिंग के मुताबिक वह राज करेंगे, इसीलिए गवर्नर राज रहेगा, गवर्नर राज बहुत अच्छा है । बहुत तारीफ कर रहे हैं । पता नहीं यह कहां से सारी बातें आती हैं । यह कांग्रेस की कोई परम्परा, कांग्रेस की नीति की बात नहीं है । (**व्यवधान**) मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं । आप लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन को जल्दी समाप्त किया जाए, वोट कराया जाए और प्रजातान्त्रिक पद्धति लाई जाए । यह भी तो आपके श्रीमुख से निकलता तो मैं प्रसन्न होता । मैं यह क्यों कह रहा हूं ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अब आपके बूते में नहीं है कि आप इस राष्ट्रपति शासन की अवधि को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें । जो बढ़ गया सो बढ़ गया । दीवार पर कुछ लिखा हुआ है । आपने स्वयं चर्चा की कि 80 वां संविधान संशोधन वहां नहीं पारित हो सका । कोई वजह नहीं है कि आप फिर यहां लाएंगे कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाए तो पास होगा, अगर थोड़ी भी आपके दिल में इसकी आशा हो तो इसको समाप्त कर दीजिये । (**व्यवधान**) ओब्जरवर बनाइये, जो बनाइये, मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अब फिर एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगा । कोई भी राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला संविधान अब पास होने वाला नहीं है । इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अब दो महीने का टाइम है उसके लिए कोई प्रोग्राम बना लीजिए उन राज्यों के अंदर और उसको युध्द स्तर पर, वार फूटिंग पर लागू कीजिए ।

मैं राष्ट्रपति शासन के बारे में आपसे कहना चाहूंगा—मुझे जो कुछ समझदारी है उससे मैंने यह सोचा था कि देश के अंदर जो साम्प्रदायिक तनाव, दंगा फसाद हो गया या बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद इसके बाद यह टेम्पोरेरी अरजमेंट राष्ट्रपति शासन का हुआ है । उन शक्तियों को डिसलोकेट करने के लिए इन्होंने साम्प्रदायिक तनाव संगठित किया था—यही लक्ष्य होना चाहिए था । राष्ट्रपति शासन को इस लिहाज से उन राज्यों में जहां भी साम्प्रदायिकता का तनाव था उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी । मैं समझता हूं कि इन दो बिंदुओं पर राष्ट्रपति शासन असफल साबित हुआ है । प्रशासन में जो साम्प्रदायिक लोग चले आये हैं, उस विचार के हो गये हैं उनको शुध्द नहीं किया जा सका है । इसका हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं । हमारे पास कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट आई है भोपाल से कि वहां अभी भी बमबारी चलती है बीच-बीच, में कभी इधर से कभी उधर से जो बम फेंका करते हैं । इसका कोई निराकरण तो हम नहीं कर पाए हैं । दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन में जो इस ख्याल के लोग हो गये हैं वे इसको और भी बढ़ावा देते हैं । आपने फर्ज भी नहीं किया ऐसे एलीमेंट्स को, जो संविधान के विपरीत काम करते हैं उनकी पर्जिंग होती तो लोग सबक सीखते कि आगे भी साम्प्रदायिक तनाव में वे हिस्सा नहीं लेंगे । इसमें राष्ट्रपति का शासन बिलकुल असफल हुआ है ।

एक दूसरी बात है जो और भी डेंजरस है । हम लोग अक्सर ही यह चर्चा करते हैं कि राजनीतिज्ञों का और क्रिमिनल्स की, अपराधकर्मियों की सांठ-गांठ है । यह चिंताजनक बात है जो देश के लिए और भविष्य के लिए अत्यंत ही खतरनाक बात है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जिस राज्य से आते हैं वहां तो तीन चार दिन पहले ही एक मुख्य मंत्री के घर में जो लोग थे उन्हीं की हत्या कर दी गयी । आपने सुना ही होगा जो अभी लोकसभा के सदस्य भी हैं । उनके घर में हत्या की गयी । दिन-दहाड़े हत्या होती है । यह राजनीतिज्ञों का जो गठबंधन हो गया है अपराधकर्मियों के साथ वह भी हमारे प्रजातंत्र के लिए अत्यंत ही खतरनाक विषय है ।

यह तो पहलू था ही । एक दूसरी बात भी देखने में आ रही है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी सांठ-गांठ हो गयी है क्रिमिनल लोगों से । तब तो इस देश को कौन बचाएगा ? हमको यह नहीं लग रहा है कि इसका क्या समाधान हो सकता है ।

मैं अभी रीवां गया था, मध्य प्रदेश में वहां हमको सूचना दी गयी कि इसी दरमियान में हमारे दो साथियों की हत्या की गयी है । एक, रामनाथ चौरसिया जो गुर विधान सभा क्षेत्र के हैं उनकी हत्या की गयी और दूसरे वैद्यनाथ व्यासी और उनके छोटे भाई की पत्नी की हत्या की गयी । ये कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे । राजनीतिज्ञ लोग प्रशासन को निष्पक्षता से काम भी नहीं करने देते । प्रसासन के लोग भी अपराधकर्मियों से जुटे रहते हैं । तो आखिर हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं । इसलिए मेरा यह ख्याल है कि राष्ट्रपति शासन असफल साबित हो रहा है ।

राष्ट्रपति शासन की तुलना प्रजातांत्रिक शासन से कभी करनी ही नहीं चाहिए । यह तो बिल्कुल गलत बात होगी । वह कर भी नहीं सकते । इसलिए मैं राष्ट्रपति शासन का जब विश्लेषण करता हूं तो विकास के काम से नहीं करना चाहता, रेवेन्यू कलेक्शन से नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ दो काम चाहता था कि जो साम्प्रदायिक तनाव के उन राज्यों के अंदर और प्रशासन में जो साम्प्रदायिक विचार के लोग आ गये हैं उनको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, कम कर दें, समाप्त तो कर नहीं सकते लेकिन कुछ कम कर दें और यह संभव नहीं हो पाया है । इसलिए फिर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जल्द से जल्द लौट आया जाए यही हम चाहेंगे ।

मैं ने अभी चर्चा की कि मध्य प्रदेश से आया हूं । अभी यू० पी० में भी गया था । वहां एक बड़े भू-भाग में सुखाड़ है । यू० पी० के करीबन 50 जिलों में सुखाड़ है । और रीवा वगैरह का जो इलाका है मध्य प्रदेश का, सतना-विन्ध्य प्रदेश वाला भाग, यह सब लगा कर जहां मैं अभी तीन दिन पहले होकर आया हूं, वहां भी सुखाड़ है । अगर केंद्र शासन हमारी बात से राजी हो, तो हम आपसे कहेंगे कि उन इलाकों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करें । जब आपकी पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि यह सुखाड़ है और इधर के भी लोग बोलते हैं कि इस वक्त सुखाड़ है, तो आप इसको सुखाड़ क्षेत्र घोषित कीजिए और वार-फुटिंग पर वहां काम करना चाहिए । . . . (व्यवधान) जहां बाढ़ है, वहां बाढ़ हमने नहीं देखी एक खास इलाके की चर्चा हमने की है । तो मैं चाहूंगा कि पहले तो आप इसको सुखाड़ क्षेत्र घोषित कीजिए और उसके अनुकूल काम करने के लिए ज्यादातर जगहों में जहां ट्यूबवेल हैं, वे बेमुरम्मत हैं, काम नहीं कर रहे हैं । इसको वार-फुटिंग पर तुरंत चालू कीजिए, बिजली की आपूर्ति कीजिए, सिंचाई योजनाएं जो थीं, उनको पहले लागू कीजिए ताकि लोगों को काम मिल सके । खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि टिहरी डैम, अन्नापारा बिजली घर और इधर बाण सागर प्रोजेक्ट का काम, जो चल रहा था, इसमें फिर लोग काम में लग जायें, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और आगे काम भी पूरा हो सकेगा ।

उत्तर प्रदेश में जो केनाल्स हैं, और उनके जो आफशूट्स हैं, उनकी सफाई नहीं होने से उनको पानी नहीं मिल पाता है । तो उनके आफशूट्स की सफाई कीजिए और जो केनाल्स रोड का एक प्रोग्राम बनाया था—मुझे ठीक से याद नहीं है कि बी० जे० पी० गवर्नमेंट के टाईम में बना था या किसी दूसरी गवर्नमेंट के टाईम में—लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है । वह केनाल रोड करीब पांच हजार किलोमीटर बनाने का काम था । तो उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए । ऐसा करने से काफी, हजारों लोग उसके काम में लग जायेंगे ।

गंगा नहर के ऊपर जो इसे पुराना समझ कर सात पावर हाऊस बंद कर दिया गया था, उसको थोड़ा सा माडर्नाइज़ करके उसे चालू किया जाए, तो कुछ बिजली की आपूर्ति भी हो सकती है ।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों के गन्ने का मूल्य बकाया है, तो इसके लिए आपको चुकता कर देना चाहिए । काम से कम इतना तो आप कर सकते थे । अभी हमारे वित्त मंत्री बोलते हैं, सरकार बोलती है कि नई आर्थिक नीति है । . . . (व्यवधान)

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र) : हमने नई आर्थिक नीति . . . (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : आपके ना बोलने से क्या होगा । आप तो हमारे साथ बोला करते हैं । लेकिन सरकार के लोग तो बोलते हैं कि नई आर्थिक नीति है । बाजार का नियम लागू किया गया है, तो बाजार के नियम में यह कहां है कि गन्ना खरीद लिया इस साल और दाम दे दिया अगले साल । अगर ऐसा है, तो हम बहुत सी मर्सीडीज़ कार वगैरह सब खरीद लें दिल्ली में । आप लीजिएगा इस बीस वर्ष हमसे पैसा—ऐसा कर दीजिए ।(समय की घंटी)

तो किसानों के लिए यह होना चाहिए । महोदय, दो-चार मिनट आप हमें और दीजिएगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भांकर दयाल सिंह) : मैंने बहुत ज्यादा समय दे दिया है, इस समय, लेकिन आप बात पूरी करें ।

श्री चतुरानन मिश्र : अच्छा, तो हम समाप्ति की दिशा में ही जा रहे हैं । यह हमने ही तो बताया है कि वार-फुटिंग पर यह सब काम करना चाहिए, गन्ने की कीमत चुकानी चाहिए । गन्ने की कीमत में एक नई बात हुई है ।

जब आपने छोआ या मोलेसेज़ या सीरा—जो भी नाम है, उसको डि-कंट्रोल कर दिया है, तो उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है । सो उसका हिस्सा किसानों को क्या मिला, यह हमको बता दीजिए—या कि सिर्फ उन्हीं मिल-मालिकों को मिला है जिनके पास किसानों का पैसा बकाया रह गया है, या इनको इसका बहुत ज्यादा दाम मिल गया ?

जब गन्ने का दाम निर्धारित किया गया था, जब छोआ का, सीरा का दाम तो गिना नहीं गया था ।

उसी तरह से देखिये मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की खेती होती है, सोयाबीन का दाम तो आपने अपने हिसाब से निर्धारित किया । यहां कृषि मंत्री नहीं हैं । हम जानना चाहेंगे कि उसकी जो खली होती है, वह विदेशों में एक्सपोर्ट होती है । उसका बहुत ज्यादा दाम है । तो किसानों के मूल्य निर्धारिण में उसका हिसाब तो नहीं गया है । तो यह क्यों दूसरे को दिया जा रहा है ? इसीलिए हम चाहेंगे कि यह इसको दें ।

दूसरा प्वाइंट यह होगा कि हरिजनों के लिए जो कुछ काम था, जैसे अंतयोदय स्कीम या कुछ अम्बेड़कर गांव बनाने का काम, उसको भी अब वार-फुटिंग पर शुरू कर दिया जाए, ताकि लोग समझ सकें कि कुछ हो रहा है ।

तराई क्षेत्र में कुछ लोग एक-एक हजार एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में रखे हुए हैं । वहां आपने अभी तक भूमि सुधार कानून पास भी नहीं किया है । अगर संभव हो, तो राष्ट्रपति शासन में उसको करें जहां आतंकवादी वास करते हैं ।

प्रधान मंत्री ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घोषणा की थी—बेरोजगार नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ स्कीम उन्होंने बताई थी । तो यह स्कीम कब से लागू होगी दो-चार साल बाद से लागू होगी या अकाल के वक्त से लागू होगी । प्रधान मंत्री ने कोई तारीख नहीं बताई कि यह कब से लागू होगी ।

मैं चाहता हूं कि तारीख बताइये । इसे दो महीने के अंदर लागू कीजिए, ताकि लोगों की अकाल के वक्त उनकी जान भी बचे और कुछ आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़े । तो मैं यह चाहूंगा कि इस काम को किया जाए । एक और काम मैं आपसे चाहूंगा, वह यह है कि एक नई बात अपने देश में देखने को मिली है । मैं कुछ शहरों में गया । बिजनेस सर्किल के लोग व्यापारी की दुनिया के लोग थे । मैं बनारस गया और कानपुर और हमारे पास रिपोर्ट आई है बड़ौदा वगैरह से और दूसरी जगहों से कि जहां-जहां एक-एक बार दंगा हो चुका है वहां दूसरी बार दंगा नहीं होता है और बिजनेस सर्कल जो है वह घबरा गया है और वे कहते हैं कि हम दंगा नहीं चाहते । पहले तो वे लोग भा० ज० पा० का बहुत नारा बुलंद करते थे । अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं । . . . . (व्यवधान)

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : अभी भी करते हैं । वे जानते हैं कि भा० ज० पा० उसमें शामिल ही नहीं है । . . . . (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : अच्छा, यह तो पंडित जी की बात है . . . . (व्यवधान) यह पंडित जी की बात हो सकती है । . . . (व्यवधान) तो इसीलिए मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था कि बिजनेस सर्कल के लोग दंगों से अब परहेज चाहते हैं । मुरादाबाद का भी उदाहरण दे रहा हूं, यही अनुभव है कई जगहों में उनको बिजनैस में गहरी क्षति हुई है । लेकिन उन लोगों ने कहा कि उनकी एक मांग सेल्स टैक्स के बारे में और रोड टैक्स के बारे में हैं । मैं चाहता हूं कि जैसे पथ कर के बारे में सरकार ने राज्यों से विचार करके उसका एक निराकरण कर लिया वैसे ही सेल्स टैक्स के बारे में भी एक नया फार्मूला बनाया जाए, जिससे राज्यों को कोई वित्तीय घाटा न हो और इस समस्या का निदान भी हो जाए, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है और इसके चलते लोग भी बहुत परेशान होते हैं । मनमौजी टैक्स वसूला जाता है और उधर भ्रष्टाचार भयंकर होता है । सरकारी खजाने में उतना पैसा नहीं आता है, जितना लोगों से वसूल किया जाता है । मैं चाहता हूं कि इन पांच बिंदुओं पर आप वार-फुटिंग से काम करें और यह समझ करके करें कि नवंबर महीनें में आपको चुनाव कराना है । यह इस सदन में लिखा हुआ है । आप कोई भी बिल लायेंगे संविधान संशोधन करने का वह होने वाला नहीं है ।

आखिरी बात कह करके मैं समाप्त करता हूं । एक माननीय सदस्य ने कहा है, देखिए ना रामो-वामो ने साथ दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव में एक साथ मिल कर वोटिंग किया । यह तो खराब बात है आप समझते हैं कि खराब है तो उस दिन की याद नहीं है जिस दिन वी० पी० सिंह की सरकार थी । आप किसके साथ मिल कर उसको गिराए हो । आप अमरीका से हाथ मिलाए थे, या यहीं के आदमियों से मिल करके गिराए थे ? फिर जब लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का बंटवारा किए थे आपस में तब बी० जे० पी० था या नहीं । काहे को बोल रहे थे, बोलने लायक कोई दल बच नहीं गया है और आप तो और भी नहीं बचे हुए हैं । इसलिए उस सब को तो छोड़ दीजिए, आगे की कार्यवाही के लिए, आगे से भी अगर काम कीजिए तो अच्छी बात होगी । तब देश को आप त्राण दे सकेंगे । फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि इन बिंदुओं पर वार-फुटिंग पर काम कीजिए । . . . (व्यवधान) निश्चित कीजिए और लोगों को राहत दीजिए तथा उनकी जान बचाइये, तभी आपकी भी जान बचेगी और देश भी बचेगा । यही मुझे कहना है । धन्यवाद ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं इन चार राज्यों के संचित निधियों के लिए जो विनियोग विधेयक लाए गए हैं उनका समर्थन करना चाहती हूं और यह कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की संचित निधि के लिए एक खरब 97 अरब 34 करोड़ 81 लाख 9 हजार रुपये की स्वीकृति के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका स्वागत करते हुए यह कहना चाहती हूं कि यह देश का सब से बड़ा राज्य है और एक ऐसा राज्य है जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति की महामारी से उभरा है ।...(व्यवधान) जी हां उभर

रहा है और उभरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है । मान्यवर, इन 4 राज्यों में भा० ज० पा० का शासन था, मैं समझती हूं कि केवल इन 4 राज्यों के लिए ही नहीं, यह पूरे देश और देश की जनता के दुर्भाग्य का काल था । जिसमें विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ ।

श्री रामदास अग्रवाल : आपकी दया से नहीं आए थे, जनता ने चुनकर भेजा था ।

श्रीमती सत्या बहिन : वह जनता का भ्रम था जोकि टूट गया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : कृपया बीच में टोका-टोकी न करें और खासकर सत्या बहिन बोल रही हों तब तो चुप रहें ।

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, सत्या बहिन को तो सत्य बोलना चाहिए ।

श्रीमती सत्या बहिन : मान्यवर, ये सत्य को सुनना नहीं चाहते क्योंकि इनकी सारी राजनीति ही छल और कपट पर आधारित है । यह सत्य का सामना नहीं कर सकते ।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई भी काम भा० ज० पा० ने दलगत स्वार्थों से उठकर और जनहित में नहीं किया । मैं यकीन के साथ कहती हूं, वह कोई भी एक काम गिना दें जो उन्होंने अपने धार्मिक उन्माद से हटकर आम जनता के हित में किया हो ? इसके अलावा जितने भी विकास के काम कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उन सब की न केवल उन्होंने अनदेखी की बल्कि उनको खत्म करने की भी उनकी योजना रही । मान्यवर, यही नहीं जिसके लिए ये दम भी भरते हैं और कई बार कहते हैं कि दलित, पीड़ित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के बारे में हम भी कुछ-न-कुछ सोचते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं कि हमारे प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय राजीव जी जब प्रधान मंत्री थे उस वक्त लखनऊ में डा० बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने डा० बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी उत्तर प्रदेश में, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे और जैसाकि मान्यवर कांग्रेस हमेशा से लोकतंत्र में विश्वास करती और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलती है और जनता के विकास के लिए कृत-संकल्प है और उसी तरह से अपनी योजनाएं बनाकर वह कार्य करती रही है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, चाहे वाम-पंथियों का शासन रहा हो, चाहे जनता दल का शासन रहा हो . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री शिव प्रसाद जनपुरिया (मध्य प्रदेश) : कहां रहा वाम-पंथियों का शासन ?

श्रीमती सत्या बहिन : वह तो जनता दल और आप सब की मिलीभगत है और मान्यवर, मैं पुनः कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को हवा और पानी देने का काम सबसे ज्यादा "रामो" "वामो" ने किया और चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया ।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : आपने बहुत रिसर्च किया है, सत्या बहिन ?

श्रीमती सत्या बहिन : यह वास्तविकता है । आप जरा सच्चाई को सुनने का साहस तो कीजिए । मान्यवर उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मनमानी की देशभर में । अकेले कुछ प्रदेशों में नहीं बल्कि देशभर में उन्होंने मनमानी की । दिखाने के लिए और कहने के लिए वह कहते रहे कि हम सत्ता से दूर हैं, बाहर रहकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी । यह असलियत कहीं-न-कहीं इनके ठेदर जरूर है जोकि समय-समय पर सामने आती है । मान्यवर, विकास के कामों को सबसे ज्यादा धक्का इन्हीं के कार्यों से लगा है जोकि सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और जातीय वैमनस्यता फैलाते हैं । यही वजह है कि अभी हमारे चतुरानन मिश्र जी कह रहे थे और उनसे पूर्व सत्य प्रकाश मालवीय जी भी धर्म के विधेयक की बात कर रहे थे कि राजनीति में धर्म का दुरूपयोग रोकने के लिए जो कांग्रेस पार्टी सही मायने में और ईमानदारी से विधेयक लाना चाहती थी, रामो—रामो जो कि धर्म-निरपेक्ष होने का दम भरते हैं . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री राम रतन राम : यह आप बार-बार क्यों कह रही है रामो-रामो ? . . . **(व्यवधान)** . . .

श्रीमती सत्या बहिन : अरे, आप राम को बेचते हैं और हमारे राम का नाम लेने से ही आप घबरा रहे हैं । आप तो बेचते हैं, कम से कम हम बेचते तो नहीं हैं ।...

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण (पंजाब) : जब आप बोलते हैं तो क्या हम टोकते हैं ? आप यह बार-बार क्यों टोकते हैं ?.....**(व्यवधान)**.....

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिए, टोकाटाकी न करें । कोई भी वक्ता जब बोले तो ध्यानपूर्वक सुनें । इसमें समय बहुत बचाव होता है । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं । चलिए, सत्या बहिन जी, आप अपनी बात जल्दी पूरी करें ।

श्रीमती सत्या बहिन : यह धर्म-निरपेक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी कलई खुल गई और यह बेनकाब हो गए । कांग्रेस जो चाहती थी कि धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जाति भावनाओं, दुर्भावनाओं से ऊपर उठकर देश विकास के पथ पर आगे बढ़े, सभी प्रदेशों में अच्छा, संपन्न और स्वस्थ प्रशासन हो, लोगों को जीवन स्तर अच्छा हो.....**(व्यवधान)**.....

प्रो० सौगत भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल) : बहिन जी, कितना ऊपर ?

श्रीमती सत्या बहिन : आप समझ ही नहीं सकते ।

मान्यवर, ठीक है कि कांग्रेस को दो-तिहाई बहुमत नहीं था और मजबूरी में आपके ऊपर जो भरोसा था, जो बेनकाब हो गया, लेकिन आज भी अकेले ही सांप्रदायिकता से लड़ने का दम कांग्रेस में है, साहस भी है, इच्छाशक्ति भी है और कांग्रेस अकेले ही सांप्रदायिकता से लड़ेगी, आप साथ दीजिए या न दीजिए । कांग्रेस के नेताओं ने सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए, देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश को एक रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं । आप लोग बताइए, आपने क्या कुर्बान किया है ? आपने कभी अपना कपड़ा भी कुर्बान किया है ? . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री राम दास अग्रवाल : सत्या बहिन जी, हमारे कपड़े तो रहने दो हमारे ऊपर ।

श्रीमती सत्या बहिन : अरे, कपड़े तो आप रोज ही बदलते हैं, कभी पीले कपड़े पहन लेते हो, कभी खाकी पहन लेते हो . . . **(व्यवधान)** . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सत्या बहिन जी, इसमें आप यह मान लें कि कपड़ों की कुर्बानी नहीं होती, कपड़ों का दान होता है । दान हो सकता है ।

श्रीमती सत्या बहिन : यह रोज कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पर कभी इन्होंने कोई कुर्बानी की है ? यह रंग बदलना जानते हैं गिरगिट की तरह ।

मान्यवर, मैं कह रही थी कि उत्तर प्रदेश के लिए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और अधिक धन स्वीकृत किया जाना चाहिए । अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 40 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं । मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि आज उत्तर प्रदेश का 99 प्रतिशत हिस्सा सूखाग्रस्त है । मेरे अपने क्षेत्र में जो आगरा मंडल के छह जिले हैं, सभी सूखे से प्रभावित हैं, कानपुर मण्डल के सभी जिले सूखे से प्रभावित हैं, इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि आगरा मंडल के छहों के छहों जिलों को तथा कानपुर के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और सूखे से युद्धस्तर पर निपटने के लिए अधिक धन स्वीकृत किया जाए ताकि वहां विकास को दिशा दी जाए ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां पर भी विकास के कार्य होते हैं, मैंने देखा है कि अनुसूचित जाति के जो गांव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जो अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र हैं, वहां के विकास कार्यों की ओर ठीक से और ईमानदारी से न तो लोकल प्रशासन ही ध्यान देता है और न ही कोई दूसरा ध्यान देता है । इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि इसके लिए यह शर्त भी होनी चाहिए कि अनुसूचित जाति के ग्राम और उन क्षेत्रों का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, वहां शैक्षिक संस्थाएं खुलनी चाहिएं, . . . स्कूल खुलने चाहिएं और वहां लिंक रोड बनानी चाहिए, पक्के रास्ते बनाने चाहिए । भाजपा के शासन में क्या हुआ ? कोई काम नहीं हुआ है । यही नहीं, किसानों ने जहां अपने अधिकारों के लिए थोड़ी आवाज उठानी शुरू की वहां उनको मरवाया । चाहे उत्तर प्रदेश का रामकोला कांड हुआ हो और चाहे मध्य प्रदेश में शंकर गुहा नियोगी हों, जो मजदूरों के नेता थे, उनको भी मरवा दिया गया । मान्यवर, वहां दलितों पर भी अत्याचार हुए हैं । मैं कहना चाहती हूं कि विभिन्न राज्यों से कल्याण मंत्रालय को जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं वहां दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं । उसके आंकड़े देखने से पता चलता है कि . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी (गुजरात) : बम्बई और गुजरात में क्या हुआ ?

श्रीमती सत्या बहिन : यहां कुम्हेर की बात करिए, पनवाड़ी की बात करिए । कुम्हेर को आप इतना जल्दी भूल गए ? मान्यवर, कुम्हेर जैसी घटनाएं हमारे समाज के लिए कलंक हैं । महिलाओं पर अत्याचार हुए, दलितों पर अत्याचार हुए । वहां विकास का तो कोई काम हुआ ही नहीं । मैं कहना चाहती हूं जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दुर्भाग्य से, उनके शासन के दुर्भाग्य से उभरा है और एक तरफ से महामारी से उभरा है और इसलिए इसको और अधिक धन की आवश्यकता है ।

वहां अनुसूचित जाति के युवक बेरोजगार हैं । एक तरफ तो आरक्षण पूरा नहीं हुआ, दूसरी तरफ जो शिक्षित नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है । अगर सर्वे किया जाए तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो शिक्षित हैं और तकनीकी शिक्षा भी लिए हुए हैं और बी॰ए॰,एम॰ए॰ करने के बाद रिक्शा खींच रहे हैं, जबकि उधर आरक्षित स्थान खाली पड़े हुए हैं । तो क्यों नहीं सरकार इन स्थानों को भरती है । ऐसी क्या मजबूरी है ? क्या इच्छा शक्ति की कमी है, यह मैं जानना चाहती हूं । कम से कम कांग्रेस की सरकार जो दलितों के लिए हमेशा काम करती आई है और दलित वर्ग के लोग इस कांग्रेस पर भरोसा करते आए हैं । तो यह इन सभी राज्यों में इस तरह से एक सर्वे कराकर उनके रोजगार की व्यवस्था यह सरकार करेगी । मान्यवर, भी जो हमारे विपक्ष के वक्तागण कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में ट्रांसफर बड़े पैमाने पर हुए हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है और इस तरह से आरोप लगाकर वे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते । मैं इनको याद दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह जी आए तो रोज के अखबारों में भरा रहता था कि उन्होंने सामूहिक ट्रांसफर करना शुरू किया और अपने मनमाने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में नियुक्त किया । जिन अफसरों ने जब उनकी मर्जी से काम नहीं किया तो वहां से भी उनको हटाना शुरू किया । मान्यवर, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं कि उस समय एक महिला ने जो इनके ट्रांसफर से बहुत ज्यादा दुखी थी. शायद उसके पति का कई बार ट्रांसफर इधर से उधर हुआ, तो उसने मुख्य मंत्री जी के लिए एक पत्र लिखा कि—माननीय कल्याण सिंह जी, आपके यहां जो ट्रांसफर

उद्योग है उसमें भारी घपला है और कृपया आप ध्यान दीजिए और लोगों को न्याय दीजिए । तो मुख्य मंत्री जी ने उस पत्र को उद्योग विभाग के लिए भेज दिया कि यह उद्योग विभाग का मामला है इसलिए उद्योग विभाग देखे । परन्तु उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग ने उस पत्र को देखकर उसे माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए भेज दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी, यह तो हेवी इंडस्ट्री का मामला है जो आपके पास है, हमारे पास तो मीडियम उद्योग है । यह भारी उद्योग का मामला है जो आपके पास है और जिस उद्योग को आजकल आप देख रहे हैं । तो यह प्रमाण है, जो लोग कहते हैं कि राज्यपाल के शासन में ट्रांसफर बहुत ज्यादा हुए हैं । मैं कहना चाहती हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हुआ है, वहां विकास के काम को दिशा मिली है, रफ्तार मिली है । महामहिम राज्यपाल श्री मोती लाल वोरा जगह-जगह जा रहे हैं और विकास के कामों को देख रहे हैं । मान्यवर, मेरे जिले में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने हमारे पिछड़े जिले में रोजगार-विहीन जिले में एक सहकारी कताई मिल की आधारशिला रखी थी.......

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सत्या बहिन जी, आपके बाद रामनरेश यादव जी हैं, उनके लिए एक मिनट भी नहीं बचेगा । आपका ध्यान मैंने इसीलिए पहले से दिलाया है लगातार......**(व्यवधान)**......

श्रीमती सत्या बहिन : मैं केवल 5 मिनट का समय लूंगी ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि मेरे जिले में सहकारी कताई मिल की जो आधारशिला रखी थी उसकी कोई काम नहीं हुआ । इस तरह की योजनाओं पर ध्यान दिया जाए और पूर्व में जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं उनको पूरा करने की तरफ भी सरकार ध्यान दे ।

महोदय, कई जिले हैं जहां पर महिलाओं के लिए कोई कालेज नहीं हैं । मेरे जिले में भी कोई कालेज नहीं है । लड़कियों के लिए महाविद्यालय नहीं हैं । लड़कियों के लिए कोई भी मां-बाप पैसा खर्च करके पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है । लड़कों को तो वे पैसा खर्च करके दूसरी जगह भेजकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई बाहर भेजने के लिए खर्चा नहीं करना चाहता । तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सभी जिलों में लड़कियों के कालेज खोले जाएं और दलितों और पीड़ितों के लिए, उनके नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए ।

मान्यवर, पिछले साल इंदिरा आवास योजनाओं और दुर्बल वर्ग आवास योजनाओं पर कोई काम नहीं किया गया । जवाहर रोजगार योजना के पैसे का भी भारी दुरूपयोग किया गया । शिक्षा में भी सांप्रदायीकरण किया गया है । दलगत भावनाओं और दलगत विचारधाराओं के लिए इन्होंने जो सरस्वती शिशु मंदिर खोले हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए और राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण वाली शिक्षा संस्थाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए । मैं यही बात कहते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की यह विडंबना है कि 1993-94 के चार राज्यों के विनियोग विधेयकों पर आज यहां विचार किया जा रहा है और उन की विधान सभाओं को उनसे महरूम कर दिया गया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मध्य प्रदेश तक ही अपनी बात सीमित रखने की कोशिश करूंगा कि विनियोग विधेयक तक ही मैं सीमित रखूं, राजनीतिक उखाड़-पछाड़ पर बहुत कम बोलूंगा । महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के समय 1952 में पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में कुछ सुनहरी कल्पनाएं की थीं । उन्होंने विशेषकर चार तर्क दिए थे मध्य प्रदेश के नए राज्य को बनाते समय । पहला यह था कि जंगल की अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने और जमींदारी उन्मूलन के बाद कृषि क्षेत्र के विस्तार करने के कारण यह राज्य कृषि की दृष्टि से अधिक संपन्न होगा । दूसरे खनिज संपदा के विशाल भंडार के परिवेश में नर्मदा और बेतवा घाटी की पनबिजली विकास योजनाओं से नए राज्य के बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की संभावनाएं हैं । अगले 5 वर्षों की योजनावधि में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विशाल विकास कार्यक्रमों पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय होने से राज्य में रोजगार और आय-वृध्दि के नए अवसर प्राप्त होंगे । वित्तीय दृष्टि से भी भविष्य में नए राज्य के पास राजस्व आधिक्य रहेगा, विकास धनराशि में वृध्दि के कारण यदि इसको भी शामिल कर लिया जाए तब भी नए राज्य का बजट संतुलित रहेगा । ऊपरी खर्चों में बहुत अधिक बचत होगी तथा समस्त राजस्व प्राप्ति के राष्ट्रीय मदों से अधिक आय बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे । इसलिए नए राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी । राज्य पुनर्गठन आयोग के सुनहरे मन्सूबे पर कांग्रेस सरकारों के 42 वर्षों के शासन की बदइंतजामी ने पानी फेर दिया । हर वर्ष घाटे का बजट ओवरड्राफ्ट और वित्तीय अव्यवस्था का शिकार यह प्रदेश होता रहा है । बी॰ जे॰ पी॰ की सरकार आई तो उसे यह अवसर नहीं दिया जा सका कि वह इस अव्यवस्था को सुधार सके । इस बदइंतजामी का परिणाम क्या हुआ ? इस प्रदेश की स्थिति आज कहां पहुंच गई है उसकी मैं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं । 6 करोड़ 61 लाख 81 हजार आबादी वाले 4 लाख 53 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला देश का सबसे बड़ा प्रदेश यह है । इसमें ढाई करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहते हैं जो 36.7 प्रतिशत है कुल आबादी का । बिहार, उड़ीसा में सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहते हैं । इसका प्रतिशत 44.7 है । उसके बाद बिहार का नम्बर आता है वहां 40.8 प्रतिशत है । बाद में तीसरे नम्बर पर गरीबी की रेखा के नीचे आता है मध्य प्रदेश । इन 42 वर्षों में कांग्रेसी शासन ने गरीबी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये उन प्रयासों की गिनती मैं नहीं करता लेकिन यह बात आपके ध्यान में लाता हूं कि वहां पर सिंचाई की हालत क्या है । 15 प्रतिशत तक ही सिंचाई हो पाती है । उद्योगों की हालत यह है कि प्रदेश के 45 जिलों में से केवल 9 जिलों में उद्योग पनपे और 36 जिले पूरी तरह से उद्योगविहीन रहे । इस प्रदेश में एक करोड़ 53 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और 96 लाख

26 हजार अनुसूचित जाति के लोग हैं । यही जाति सबसे अधिक गरीबी में रहती है, बेहद गरीबी में । आये दिन सूखे के संकट से ग्रस्त रहती है । केन्द्रीय शासन जो राहत देता है संकट से निपटने के लिए वह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है । मैं आंकड़ों में नहीं जाता ।

इस प्रदेश में अपार वन सम्पदा है । विपुल खनिज भंडार है, लोहा, कोयला, तांबा, बाक्साइट, मैंगनीज, सोना, हीरा, नीलम, कोरन्डम आदि कीमती रत्न यहां मिलते हैं लेकिन उसका दोहन नहीं किया जा सका । हालत इतनी जर-जर हो गई है कि अपार खनिज भंडारों के होते हुए भी, जहां पर ये खनिज भंडार है वहां पर एक-एक स्टील का कारखाना खोला जा सकता था—कटनी, जबलपुर या दमोह में । यहां से सारा खनिज दूसरी जगहों पर ले जाया जाता है । इस बदइंतजामी का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि । सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को इन्होंने अपना राजनीतिक औजार बना लिया है । एक लाख से अधिक ट्रांसफर राष्ट्रपति शासन के दौरान किये गये । मैं यह कहना चाहता हूं केवल इसी शासन को दोष नहीं दूंगा बल्कि जो भी शासन कर्मचारियों के ट्रांसफर को राजनीति का औजार बनायेगा वह जनता की भलाई नहीं कर सकेगा । उसका सत्यानाश ही करेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ऐसा है कि आपके 15 मिनट में 3 व्यक्ति हैं और उनके 54 मिनट में 3 व्यक्ति है । इसलिए समय देखकर चलें तो ठीक रहेगा । आपको याद दिलाने के लिए मैंने घंटी बजाई है ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : केन्द्रीय शासन मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करने में कभी नहीं चूकता । मध्य प्रदेश का एक तिहाई भाग पहाड़ी और पठारी है जो योजना आयोग की मान्यता के अनुसार 30 प्रतिशत ढलान वाला पहाड़ी क्षेत्र माना गया है । उसके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता देती है । केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी घाट के लिए सहायता दी है, हिमालय के तराई के लिए सहायता दी है । अन्य प्रदेशों को भी सहायता दी है । लेकिन मध्य प्रदेश को नहीं दी है । उसी का परिणाम है कि इस विनियोग विधेयक में पहाड़ी क्षेत्र के विकास के नाम पर एक भी पैसा नहीं दिया गया है । शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए इस विनियोग विधेयक में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । सूखे से मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भाग ग्रस्त है, लेकिन सूखे के लिए कितनी सहायता रखी गई है ? वह केवल 74 करोड़ 57 लाख रुपये है । सूखे से कोई भी सरकार इस तरह से नहीं निपट सकती है । मध्य प्रदेश की नियत ही बन गई है कि कहीं न कहीं हर वर्ष सूखा पड़ता है । इसलिए उसका स्थायी इलाज करना होगा और स्थायी इलाज का एक ही उपाय है । सिर्फ पार्लियामेंट के भवन में बैठकर या वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर इसका इलाज नहीं हो सकता है । वहां पर नदियां हैं । आपको नदियों पर बांध बांधने होंगे । वहां पर पन बिजली योजनायें चालू करनी होंगी । उनके किनारे नंगे पहाड़ और पठार हैं । निरन्तर आप वहां पर वृक्षारोपण करें तो सूखे की समस्या से जूझने वाले मजदूरों को निरन्तर काम मिलता रहेगा और पर्यावरण भी सुदृढ़ बनेगा । इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । इस संबंध में पर्यावरण मंत्री जी ने जो जवाब दिया उससे शर्म से सिर झुक जाता है । उन्होंने कहा कि वनीकरण और पर्यावरण में पठारों का विकास केवल छिन्दवाड़ा क्षेत्र में चल रहा है यानी उनके निर्वाचन क्षेत्र में चल रहा है । जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश का एक तिहाई हिस्सा पहाड़ी और पठारी है । उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में जितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार को जो भी सरकार दूर कर देगी उस सरकार को मैं सलाम करूंगा । आप आवासहीनों को भूखण्ड देते हैं । मुफ्त में देते हैं, अनुदान देते हैं । पहले मकान बनाने के लिए 15 सौ रुपये दिये जाते थे, बाद में ढाई हजार हुए और अब साढ़े तीन हजार दिये जाते हैं । क्या कभी आपने जांच कराई कि कौन व्यक्ति आवासीय भूखण्ड का पात्र है और कौन नहीं है ? कितने अपात्र लोगों को मुफ्त में भूखण्ड दिये गये हैं, मुफ्त में अनुदान दिया गया है ? पूरे देश का मैंने हिसाब लगाया है, मध्य प्रदेश का ही नहीं लगाया है । आपने 60 लाख आवासीय भूखण्ड दिये आवासहीनों को मकाने बनाने के लिए और अनुदान भी दिया । उसमें एक चौथाई हिस्सा तीन अरब रुपये से अधिक होता है जो उन्हें मुफ्त में दिया गया । आपके खजाने से यह राशि दी गयी । बड़ा आदमी है, बड़ा किसान है, कोठी वाला व्यापारी है या हजारों रुपये पाने वाला नौकरी वाला है, उनको आपके भूखंड दे दिया, अनुदान दे दिया । इसकी जांच करनी चाहिये, इसीलिये मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं ।

जवाहर रोजगार योजना के लिये हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि इसमें 24 अरब रुपये रखे हैं, कभी कहते हैं 21 अरब रखे हैं । लेकिन उसमें अभी काम क्या हो रहा है ? वहां ऐसा काम हो रहा है जैसे कि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य केवल पैसा खर्च करना हो । अभी प्राक्कलन समिति की 13वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां जहां उन्होंने इस बात की जांच की वहां यह पाया कि जवाहर रोजगार योजना का जो लक्ष्य था कि प्रति मजदूर को कम से कम सौ दिन काम मिले, उसके स्थान पर केवल 30 दिन उनको काम मिला है । क्यों मिला ? यह घपलेबाजी कौन करता है ? आपकी किताबें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके ऊपर किस का अंकुश है, कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं, कौन प्रबोधन कर रहा है, इसको आप ख्याल में नहीं रखते हैं ।

श्रीमन्, मध्य प्रदेश के जिलों में बंदोबस्त का कार्य चालू है । मैं इस सदन के द्वारा यहां के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में किये गये बंदोबस्त की फिर से जांच की जाय । वहां हजारों किसानों के खातों में हेरफेर कर दी गयी है । उनका रकबा बदल दिया गया है और वे कहते हैं कि इसका कोई फाइनल इलाज नहीं है । इसके लिये कानून बनाइये । इसका लाखों किसानों से संबंध है, उनकी सम्पत्ति का सवाल है । लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । यह कैसी सरकार है, हम ताज्जुब करते हैं,

कभी कभी इस आयु में पहुंचकर हमको यह लगने लगा है कि यह देश किस रास्ते पर जा रहा है और कहां जायेगा ।

जन-जाति कल्याण के लिये 2 अरब 50 करोड़ 37 लाख 99 हजार रुपये रखा गया है, विनियोग विधेयक में । मैं यह कहना चाहूंगा, इस सरकार के मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को आप कहें कि वह राजनांद गांव की जन-जातियों को देखें, बस्तर की जन-जातियों को देखें, मंडला जिले के बैगा जन-जातियों को देखें, झाबुआ जिले को देखें, कि वहां क्या विकास हुआ ? आज भी मैं बैगा विकास खंड डिंडौरी में जो चल रहा है उसमें वहां का सारे का सारा पैसा अधिकारी खा रहे हैं । इसका उन बैगाओं को कोई लाभ नहीं हो रहा है । इसकी जांच आप कराइये । क्या केवल ढाई अरब रुपये रख देने से आप सोचते हैं कि उनका विकास हो जायेगा ?

श्रीमन्, डेरी विकास में बड़ी रकम रखी गयी है । डेरी विकास के लिये 11 करोड़ 40 लाख रुपये रखे गये हैं । वहां 45 जिले हैं और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जंगल से आच्छादित है । पशुधन का पालन-पोषण बहुत अच्छे तरीके से वहां हो सकता है । वहां पर बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन का कार्य किया जा सकता है । हर जिले के लिये कम से कम 1 करोड़ रुपया आपको डेरी विकास में रखना चाहिये था । अगर अभी नहीं रखा है तो अगले सप्लीमेंटरी बजट में रखिये ।

पशुपालन पर रकम तो बहुत बड़ी है, 67 करोड़ 49 लाख 41 हजार रुपये । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन पशुओं को खाने के लिये चारा विकास की कौन सी योजना मध्य प्रदेश में चल रही है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : चनपुरिया जी, आप तीनों व्यक्तियों का समय लेकर आगे बढ़ रहे हैं ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : मैं दो-तीन मिनट में खत्म कर रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : ये वयोवृद्ध हैं, इनका प्रवचन आवश्यक है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : वह ठीक है लेकिन हमारे लिये भी समय की सीमा आवश्यक है, मेरी भी दिक्कत है ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में बहुत है लेकिन आपके विनियोग विधेयक में कितनी राशि रखी गई है, 1 करोड़, 92 लाख, 40 हजार रुपये । हमारे यहां सैकड़ों पर्यटन स्थल हैं, आप उनका विकास कीजिये, वहां के आवागमन को सुधारिये तो वहां काफी आमदनी का रास्ता हमें मिल जाएगा । इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें और पैसा रखना चाहिये था ।

सड़कों पुलों की हालत बहुत खस्ता है । इसके लिए आपने दो अरब तेतीस करोड़ रुपये से ज्यादा रखे हैं लेकिन मध्य प्रदेश की सड़कों पर चलने के बाद कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इस देश की सरकार भी इतनी ही जर्जर है जितनी यहां की सड़कें जर्जर हैं । पुल नहीं हैं, जो टूटे हुए पड़े हैं, वह टूटे हुए पड़े हैं, जैसे कोई देखने वाला ही नहीं हैं । ऐसा लगता है कि सब कुछ कर्मचारियों के भरोसे पर छोड़ दिया गया है ।

महोदय, परिवहन की बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । मध्य प्रदेश में रेल लाइनें बहुत कम हैं । पूरा आवागमन सड़कों पर आधारित है । परिवहन पर 24 करोड़, 35 लाख, 82 हजार की राशि रखी गई है । यह बहुत कम राशि है क्योंकि हम को सड़कों का प्रबन्ध भी करना है और परिवहन के साधनों का भी प्रबन्ध करना है । इसलिए राशि को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिये ।

महोदय, मैं समय तो और चाहता था लेकिन मैं अन्तिम बात एक कवि की दो लाइनें कह कर समाप्त करूंगा ।

> सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
> मगर यह आंकड़ा—यह दावा, किताबी है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Shri Mentay Padmanabham. You have got only six minutes.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you. I have to cover four States in six minutes.

It is most unfortunate that we are discussing four Appropriation Bills of the four States in this House. In fact, this discussion should have taken place in the respective States. I have serious reservation on discussing these four Appropriation Bills together. Generally when we discuss about an Appropriation Bill we put forth some of the problems that a State is facing and how much money is to be appropriated to that State and whether that money is enough for that State or not and how much money is to be spent for each area and whether the Bill should contain grant of more funds for various works or not. However, on a number of occasions I had made it clear in this House and elsewhere that Article 356 should not be used and it should not be imposed on any State. Article 356 was imposed in those four States after the 6th December incidents. I need not recount the whole history because every day the House is seized of this matter and everybody knows under what circumstances these four States were brought under President's rule. There is no need to traverse that ground which has already been covered.

In fact, elections should have taken place a long time ago, may be, about three or four months ago. But unfortunately my friends on this side belonging to the BJP whose Governments

were dismissed were also not sincere, at that time, to revive the electoral process in those States. I do not know whether this is a peculiar situation presented to the Government. But the Government had taken recourse to extending President's rule for another six months. I hope they will not come up with another Constitutional Amendment Bill to further extend President's rule through Article 356 in these four States after the expiry of the six months' statutory period. And, the Government should, now, categorically state that they are going in for election, for revival of the democractic process, in these States within this statutory period. This is one appeal I would like to make to the Government. While replying to this discussion, I beseech the Home Minister and the Government that they should come out with a categorical statement that they are going in for elections before the expiry of this statutory period.

4.00 P. M.

Again, my friends on this side as well as on the other side have pointed out a number of problems that the various States are facing. For example, U.P. is now affected by drought. Nearly 40 districts in that big State are affected by drought. We do not have any information about what the Governor and his advisers are doing to tackle this issue. The other States are facing various other problems. But we do not have any information whether the Governors and their advisers, the bureaucracy there, are trying to do anything to tackle these problems faced by the people of these States. Therefore, it is absolutely unconstitutional to impose Article 356 and take away the powers of elected legislatures. This has to be discontinued under any circumstance.

There is another point which is very, very pertinent now. Recently we have seen and we all know that Governors are changed, they are transferred. One Governor is transferred from U.P. Some new Governor is brought in. Why? What are the reasons for changing the Governor before the expiry of the statutory period? What are the motives of the Government? I would like to know from the Home Minister what the motives of the Government are. Why are they changing Governors? Are they inefficient? Are they not able to tackle the problems the State is facing? What are the reasons? Obviously, the ruling party at the Centre is now trying to use Governors for their political and partisan ends. This is really most unfortunate.

All of us know that the Sarkaria Commission was appointed by the Government of Mrs. Gandhi. The Sarkaria Commission made some recommendations with regard to appointment of Governors and the role of Governors. Governors are to be responsible to the States. They are responsible to the people of the States. They are expected to deal with the various problems the States are facing. In spite of that, they have now become agents of the Central Government, and the Central Government, according to whoever is helpful to their partisan and political ends, are changing Governors. This is most unfortunate and unconstitutional. It is going to be a very, very serious question in the coming years. Therefore, the Government should explain why there is change of Governors. For example, the Governor of U.P. is transferred to some other State. Some other gentleman from M.P. is being brought and appointed Governor in another State. Governors in one or two other States, Rajasthan and other places, are transferred. Some other Governors were brought. What are the reasons for this? Why should they do it? What are their failures? This is simply a prerogative of the Government. I agree with them. The Rashtrapati has to follow whatever advice is given by the Council of Ministers. But even the Central Government is accountable to the people in these States as to why and under what circumstances the Governors were transferred and new Governors were appointed. Does the Central Government expect that by changing the Governors, it could improve the conditions of the people residing in various States? Is it really the reason? Therefore, frequent change of Governors, transfer of Governors, bringing new Governors, is most unfortunate and it will have a far-reaching effect as far as the federal structure of this country is concerned.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): What did the Chandra Shekhar Government and the V. P. Singh Government do?

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Should you commit mistakes because the Chandra Shekhar Government and the V. P. Singh Government committed mistakes? May be the previous Governments made the same mistakes. I am not holding any brief either for Mr. Chandra Shekhar or for Mr. V. P. Singh. What about you? During the last two years, your Government has done tremendous damage to the constitutional propriety of this country. You have been systematically eroding, one after another, all the constitutional institutions, institutions which are essential for

a healthy growth of the democratic structure. You have been eroding one by one all the constitutional systems. For example, what have you done with regard to the party system ? Can any representative type of Government function without a party system ? Without an effective and a stable party system, no representative type of Government can function. What have you done during the last two years ? You have started breaking all the parties; you have started splitting all the parties. Even those clauses, which are included in the Tenth Schedule, are given a perverse... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : Mr. Narayanasamy, why are you interrupting him ?

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Sir, I told you that is not the argument. (*Interruptions*) I am not holding a brief for any mischief done by the previous Governments. What have you done ? Simply because somebody else committed a mistake, you would also commit a mistake ! That means you are agreeing that you have committed a mistake. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondichery) : Shri V. P. Singh's Government committed a mistake... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : Mr. Narayanasamy, what are you doing ? This is not the way to make a point. Why are you interrupting him ?

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Mr. Narayanasamy, I told you in the beginning itself that I am not holding any brief either for Chandra Shekhar's Government or for V. P. Singh's Government or Rajiv Gandhi's Government or Mrs. Indira Gandhi's Government.

SHRI V. NARAYANASAMY : But you were partner in V. P. Singh's Government. (*Interruptions*)

SHRI MENTAY PADMANABHAM : But during the last two years, this Government has done tremendous damage to the Constitution and to the democratic institutions that no other Government that had ruled this country would have done. You have destroyed the party system; you have eroded the party system. Even the Prime Minister's office has not been spared. I have seen four Prime Ministers during the last three, four years. Prime Ministers may come and go but the office of Prime Minister is an institution in itself. Even the Prime Minister's institution now has become a laughing stock. This is your contribution to the democratic structure of the country; this is your contribution to the growth and development of democratic and representative institutions. (*Interruptions*) You have brought down the image of every other institution. Even the Election Commission, which was created by the Founding Fathers of the Constitution, as a free, fair and impartial agency to conduct elections, has also been brought under discussion and a lot of doubts are created about that institution. This is your contribution. You have not taken much time to do it. You ruled this country for two years. During these two years, you have created a situation where nobody believes in the Constitution; where nobody believes in any institution; where nobody believes in democratic functioning. That kind of a situation you have created and you are still trying to commit the same mistake.

What about the Bill you introduced recently. You were forced to withdraw that Bill. What did it contain ? You wanted to bye-pass the Election Commission; you wanted to create an agency which would disqualify a contesting candidate before the election. What is all this ? Is there any thinking on the part of the Government ? That is what I am asking. Even now it is not too late. The people of India elected you and whether you are in minority or majority, you are chosen to rule this country for another three years. Try to learn from your mistakes; try to understand in what direction the Government should go. This is what I would like to appeal to you. I am not talking about the Government of V. P. Singh or the Government of Chandra Shekhar. We tasted the wrath of Article 356 in 1984 when we had the majority in the Assembly. Out of 295 Members we had 205 Members on our side Even then, Shrimati Indira Gandhi had dis missed our Government. But she was forced to reinstate our Government within one month. Ultimately you will have to tackle the people. It cannot be done simply by changing a Governor or by transferring a Governor or by appointing a new Governor who is not even worth being appointed as a chaprasi. You are appointing all sorts of people as Governors. You are changing them midway. But ultimately you will have to be responsible to the people and the people will teach you a lesson; don't forget this. This is my advice to the Government. Thank you, Sir.

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां चपरासी शब्द कहे, चपरासी शब्द तो है, लेकिन यह 60 वर्ष उम्र तक काम करता है । उसका ट्रांसफर नहीं होता

है। यह चपरासी से भी बदतर राज्यपालों की स्थिति है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): अच्छा, ठीक है, बैठिए। श्रीमती कमला सिन्हा। 14 मिनट हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में चार प्रांतों का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये चारों प्रांतों का संचित निधि से एप्रोप्रिएशन के लिए, अगले वित्तीय वर्ष का समाप्ति तक खर्च के लिए, निधि की निकासी के संबंध में यह विधेयक लाया गया है। भारतवर्ष दुनिया का सब से बड़ा लोकतान्त्रिक देश है, सारी दुनिया में इस बात को हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं और यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया के सब से बड़े लोकतान्त्रिक देश में, सब से बड़े भू-भाग में लगभग एक तिहाई जनता की आबादी जिसमें हो वह चारों प्रांत मिलाकर उसमें आज राष्ट्रपति का शासन है। राष्ट्रपति के शासन का कारण भी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के विधेयक में तो कहा गया है कि 6 दिसंबर के बाद जो घटना घटी, इसमें उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजंस में कि 6 दिसंबर के बाद की जो घटना घटी है उसके

> "This Bill is introduced in pursuance of Article 204A of the Constitution with a proclamation issued under Article 356 of the Constitution in respect of the State of Uttar Pradesh on 6th of December, 1992."

कारण 6 दिसंबर, 1992 को जो घटना घटी उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया लेकिन बाकी तीन प्रांतों में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, सरकार को इसके बारे में कुछ कहना चाहिए था। मैं यह सरकार से पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो सीधे राष्ट्रपति के तहत भारत सरकार प्रांत की शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि पिछले 9 महीनों से इन चारों प्रांतों की शासन व्यवस्था कैसी रही, उसका भी ब्योरा हमारे सामने आना चाहिए था। यह विनियोग विधेयक में अगले 6 महीने के लिए रकम निकासी की अनुमति मांगने के पहले आपको पिछले 9 महीने का आपने कार्यकलाप का लेखा-जोखा भी संसद के सामने पेश करना चाहिए था। यह काम सरकार ने नहीं किया है। हम कैसे समझेंगे कि पिछले दिनों जो आपने खर्चा किया है, वह खर्चा सही मायने में किया है? कई सदस्यों ने अलग-अलग बातों को उठाया है। उत्तर प्रदेश इसमें आबादी के लिहाज से सब से बड़ा प्रांत है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा सुखाड़ से ग्रस्त है, अकाल की स्थिति है, मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल इलाका, जंगल-पहाड़ से घिरा इलाका, पानी का अभाव है और वहां लॉ एंड आर्डर की स्थिति आज भी बहुत ही खराब है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी उसी तरह की है। वहां के लोग परेशान हैं। राजस्थान, पिछले दिनों सदन में नारकोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग का विधेयक सरकार ने लाया था। उसमें यह कहा गया कि राजस्थान गोल्डन ट्रायंगल का आखिरी हिस्सा है नारकोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग में और यह व्यापार आज भी चालू है। और राजस्थान दिल्ली की सरकार के तहत चल रहा है, क्या कर रही है सरकार मैं पूछना चाहती हूं?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: ट्रांसफर।

श्रीमती कमला सिन्हा: ट्रांसफर तो गवर्नर का ही हो रहा है। हमारे प्रांत में जो गवर्नर साहब थे, वह मध्य प्रदेश आ गए हैं।

मान्यवर, चारों प्रांतों में कामकाज ठीक से चले, इसके लिए स्पीकर महोदय के द्वारा सांसदों की एक परामर्शदात्री समिति बनायी गयी और मुझे भी एक कमेटी में रखा गया है। यह परिपत्र मुझे दफ्तर का मिला है, लेकिन आज तक कभी यह परामर्शदात्री समिति का बुलावा नहीं आया। कभी यह कमेटी किसी बात के परामर्श के लिए बैठी ही नहीं। फिर क्यों बनायी गयी, क्यों कागज का इतना फालतू खर्चा किया जाता है? क्यों पेड़ की कटाई करते हैं आप? इस तरह का परिपत्र क्यों भेजा जाता है जबकि बैठक ही नहीं करनी है और कभी विचार-विमर्श ही नहीं करना है? क्यों इस तरह की बात होती है, इसका उद्देश्य क्या है?

महोदय, मैं आपके सामने बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहती हूं। आपने ठीक किया कि समय-सीमा पहले बता दी। मैं केवल मुख्य रूप से दो-चार बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। ठीक है, नवम्बर महीने में चारों प्रांतों में चुनाव हुए हैं, लेकिन जिस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की गयी थी और अन्य तीन प्रांतों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त किया गया था, क्या उनकी हालत में सुधार हुआ है? क्या सरकार संतुष्ट है कि वहां करप्शन खत्म हो गया है? क्या सरकार संतुष्ट है कि वहां लॉ-एंड-आर्डर की सिचुएशन सुधर गयी है? कम्युनल हॉर्मोनी रिस्टोर हो गयी है, क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है? अगर है तो उसके लिए सदन के सामने दलील पेश करनी चाहिए। महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, कम्युनल हॉर्मोनी में कोई खास अन्तर नहीं पड़ा है, नहीं तो "सहमत" की एक प्रदर्शनी के कारण जो नाहक बखेड़ा हुआ, वह नहीं होता। यह ठीक है कि "सहमत" वालों ने कहीं से खोजकर एक नया दस्तावेज लगा दिया, लेकिन वह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर तूफान खड़ा किया जाय। मान्यवर, यह एक पॉइंटर है कि बीमारी सिर के ऊपर उठ रही है और इतने हल्के से इसे नहीं लेना चाहिए। इस देश में कम्युनल हॉर्मोनी अगर रिस्टोर करना है तो गांव-गांव में जाकर लोगों की आर्थिक दशा सुधारनी होगी क्योंकि कम्युनलिज्म का यह पागलपन तब आता है जबकि लोगों का पेट खाली हो, हाथ में काम न हो। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। इस देश में 10 करोड़ लोग बेकार होने जा रहे हैं। तो उनके सामने धर्म एक नशे की तरह काम करता है। आपने कभी विश्लेषण किया है कि वह कारसेवक कौन थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया? आप सीधे कह देंगे कि आर॰एस॰एस॰ काडर के लोग थे, लेकिन मैं मानती हूं कि वह केवल आर॰एस॰एस॰ काडर के लोग ही नहीं थे बल्कि और लोग भी थे जिनको कि उकसाया गया था, जिनके हाथ में कोई काम नहीं था, जिन पर पागलपन का जुनून

सवार था । मान्यवर, जो लोग रायट करते हैं, उन पर भी इसी तरह के पागलपन का जुनून सवार होता है । ये बेकार और लाचार लोग जिनके हाथ में कोई काम नहीं होता, थोड़ा-सा भी धन प्राप्त हो जाय तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं । ऐसे लोग वैसे काम में शरीक होते हैं । इसलिए महोदय, जब तक आर्थिक हालत में सुधार नहीं होगा, बात बननेवाली नहीं है । एक तो भयंकर अकाल छाया हुआ है देश के आधे हिस्से में । मैं बिहार से आती हूं, हमारे यहां भी अकाल है । उत्तर प्रदेश भी उस अकाल की छाया से मुक्त नहीं है । चालीस-पचास जिलों में बारिस नहीं हुई है, रोपनी नहीं हो पायी है । आने वाले दिनों में खरीफ की फसल मारी जाएगी और उसके कारण रबी की फसल भी मारी जाएगी क्योंकि खेत में नमी नहीं रहेगी तो रबी की फसल कहां से होगी ? इस तरह खरीफ और रबी दोनों फसलें गयीं और वैसी हालत में भुखमरी की स्थिति होगी । क्या सरकार अपने को गियर-अप कर रही है, उस स्थिति से निपटने के लिए कि भुखमरी की स्थिति से कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे ? मान्यवर, भुखमरी केवल इंसान की ही नहीं होती है । अनाज तो विदेश से भीख मांगकर ले भी लेंगे, लेकिन मवेशियों के चारे का क्या होगा ? पीने के पानी का क्या होगा ? बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना तरीके से, विदआउट एनी प्लेनिंग, वाटर मैनेजमेंट प्लेनिंग के बगैर जिस तरह से पानी का इस्तेमाल हुआ है खासकर के भूगर्भ जल का, उसके कारण इस देश के अनेकों हिस्सों में भूगर्भ जल का स्तर नीचे चला जा रहा है । जितना गहरा नलकूप लगाइए, पानी निकलता ही नहीं है । जहां कहीं पानी भी है तो बिजली नहीं है कि वह नल को एनर्जाइज हो सके जो स्टेट ट्यूबवेल है, तो स्टेट ट्यूबवेल एनर्जाइज नहीं है तो पानी नहीं है । दिस इज ए विसियस सर्कल । समझ में नहीं आता इस विसियस सर्कल को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति शासन में केन्द्रीय सरकार जिम्मेदारी निभाने के लिए कौन-कौन सा कार्यक्रम अपना रही है ?

हमारे देश में ग्रामीण अंचल तक विकास के काम के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई गई । ठीक है, योजनाएं तो पुरानी ही थीं, नए नाम दिए गए । उससे हमें कोई झगड़ा नहीं है । सरकारें बदलती हैं और वह अपने नाम का छाप लगाती हैं । कोई राम नाम की छाप लगाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है । हमने तो "अंत्योदय" की छाप लगाई थी, हमने "फूड फोर वर्क" किया था और आपने उसको जे० आर० वाय० किया । इसमें हमें कोई झगड़ा नहीं है । ठीक है । यह अब ब्लाक लेवल पंचायत तक लागू होगा । आज की स्थिति यह है कि अनेकों जगहों पर पंचायतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और पंचायत के जो प्रभारी लोग हैं, अनेकों जगहों पर उनके ऊपर भी जो लोग हैं, उनकी छाया पड़ गई है और वह भी करपशन का अड्डा बन गए हैं । नतीजा जवाहर रोजगार योजना के तहत जो प्रोग्राम चलने चाहिएं ग्रामीण अंचल तक, वह चल नहीं पाते हैं । सही मायने में चल नहीं पाते हैं । करपशन का काम जोर-शोर से चालू हुआ है । अब पंचायत के चुनाव हों तो शायद बात बदले, लेकिन पंचायत के चुनाव हों कैसे ? असेम्बली के चुनाव नहीं होंगे तो पंचायत के चुनाव हो नहीं सकते । अब असेम्बली के चुनाव, हालात में सुधार नहीं होगा तो असेम्बली के चुनाव भी होंगे या नहीं होंगे, हमें तो शक होता है क्योंकि जिन कारणों से इन सरकारों को गिराया गया था उसमें कोई सुधार नजर नहीं आता ।

अभी अभी हमारे बी० जे० पी० के भाई ने मध्यप्रदेश का बहुत ब्यौरा देकर अपनी बातों को रखा है । मध्यप्रदेश में चालीस साल में कोई हालत नहीं सुधरी, बीच में उनकी सरकार आई इस सरकार ने भी कुछ नहीं किया, वही पुरानी जो लीक थी उस में चल रही थी और अब राष्ट्रपति शासन भी उसी लीक में चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में जो सरकारें आएंगी वह भी उसी लीक में चलेंगी । तो जब तक संवेदनशील सरकार नहीं हो, जब तक स्थानीय लोगों के सुख-दुख से उनके मन में कोई वेदना न हो, उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता ।

अयोध्या का जो ... **(समय की घंटी)** ... अभी तो पांच मिनट भी नहीं हुआ होगा, मेरा तो 14 मिनट का समय है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपका 13 मिनट खतम हो गया, एक मिनट बच रहा है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : अच्छा, बस अब दो-चार मिनट में खतम करूंगी ।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) : आप अयोध्या का नाम नहीं लेतीं तो घंटी नहीं बजती । ... **(व्यवधान)** ...

श्रीमती कमला सिन्हा : देखिए, अयोध्या में जो घटना घटी उसके कारण वहां सरकार गिरी । मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि आज क्या स्थिति है ? आज क्या हालत है ? उसके बारे में सरकार सदन को अवगत कराए ।

मध्यप्रदेश के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगी । मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि मध्यप्रदेश की लॉ एण्ड आर्डर की हालत जब वहां चुनी हुई सरकार थी उस समय भी खराब थी । अगर खराब नहीं होती तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनसमुदाय के नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या न हुई होती । हत्या उनकी हो गई । हम लोगों ने बार बार मांग की कि उनके हत्यारे को पकड़ा जाए, न्याय दिलाया जाए । उनकी पत्नी गुहार करती फिरी पूरे देश भर में, दिल्ली में भी आकर, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया, राष्ट्रपति शासन में भी नहीं हुआ, चुनी हुई सरकार के शासन में भी नहीं हुआ । अब आगे आने वाले दिनों में भी कुछ होगा, इसका मुझे तो भरोसा नहीं है ।

महोदय, मैं हिमाचल के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि हिमाचल के किसान बहुत परेशान हैं । उनके यहां पर फल अधिक होता है और फार्म प्रोडक्ट, जो यह उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत है । छोटे-छोटे फल-कारखाने भी हैं वहां पर । लेकिन सरकार के द्वारा वहां आज तक उनके कृषि उत्पादन का कोई सपोर्ट प्राइस का एनाउंस नहीं किया गया है । मैं यह चाहूंगी कि आज यह राज्य केन्द्रीय सरकार के तहत है, तो उनके

फार्म प्रोडक्ट खासकर के फल, सेव वगैरह की सपोर्ट प्राइस की सरकार को घोषणा करनी चाहिए ।

राजस्थान के बारे में एक-दो बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी । महोदय, राजस्थान हमारा सीमावर्ती प्रांत है । मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बड़े जोरों से ड्रग ट्रैफिकिंग का काम हो रहा है और सीधे वह जो गोल्डन क्रेसेंट है, पाकिस्तान पहुंचता है और विदेशों में जाता है, यूरोप और अमेरिका में भी जाता है । बोर्डर एरिया में तो कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके पास न जमीन है, न खेतीबाड़ी है, लेकिन लोग अचानक मालदार हो गए हैं । उनके पास गाड़ी वगैरह सब हो गई है, उनकी हालत अच्छी हो गई है और सरकार बिल्कुल ही आंख में रंगीन चश्मा पहनकर बैठी हुई है और कान में रूई ठूंस कर बैठी हुई है और वह कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई बात देखने के लिए तैयार नहीं है और धड़ल्ले से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है । आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी और आने वाले दिनों में भी होगी । यह सरकार क्या कर रही है ? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । वहां पर पानी की भी बहुत ज्यादा किल्लत है । राजस्थान का आधा हिस्सा सूखा हुआ है । राजस्थान में जो यह एंप्लॉयमेंट का डिजास्टर हुआ है, पूरे देश में तो हुआ ही है, राजस्थान में जैसा हुआ है वैसा शायद ही कहीं पर हुआ हो । पूरा अरावली पहाड़ नंगा पड़ा हुआ है । उसमें फोरेस्टेशन का काम तेजी से किया जाए । मैं यह कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों समाचार पत्रों में भी आता रहा कि जो बोर्डर एरिया के गांव हैं, वहां पीने का पानी नहीं होने के कारण मवेशी के साथ किसान सीधे पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे हैं । यह बड़ी भयावह स्थिति है । इस स्थिति में कोई सुधार लाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेवारी है । अगर केन्द्रीय सरकार इन बातों को पूरा नहीं कर सकती है तो विनियोग विधेयक के जरिए इस राशि की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है । इन्हीं बातों के साथ, चूंकि यह अलोकतांत्रिक विधेयक है, अलोकतांत्रिक पद्धति है, मैं इसका विरोध करती हूं ।

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on these Bills. It is a very sad day for our democracy that this House has to discuss the Appropriation Bills of four States of this Federation. This House had discussed at length the total misuse of Article 356. The stand taken by our party on the undemocratic dismissal of Rajasthan, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh Governments was vindicated by the historic judgement of the Jabalpur Bench of Madhya Pradesh High Court. It is again a matter of grave concern that without respecting the verdict of the High Court, the Centre has gone to the Supreme Court with malicious intentions to assert its authority which is not provided in the Constitution. As regards the Appropriation Bills, we are unanimous that they should be returned. But, because there is a provision in the Constitution to be used in the rarest of rare cases, do we have a right to arrogate the powers of the four State Assemblies to ourselves by refusing to install popular Governments in the States? The Centre forgets that such repeated misuse of Article 356 takes away the fundamental right to franchise of the people of those States. When you deny the very vital rights to people to elect their representatives, what is left in a democracy? It is time the Centre realised the long-term effects of misuse of this Article. People did not even like the way in which the Congress leadership in Delhi changed the Chief Minister of a State. That is why Telugu Desam was voted to power in 1984 after inflicting a humiliating defeat on the Congress. If the sentiments of the people are not respected, we will end up in a situation which shall be detrimental to the unity of the country. There is a very wrong approach on the part of the Centre. Those who become Ministers at the Centre start feeling that they have become superhumans overnight. A few people sitting at the Centre feel they are super-intelligent, that they know better than the leaders and Ministers of the States. This is the regrettable situation today. I would like to ask a simple question. When a State is under President's rule and a number of violent incidents such as large-scale murder, gang-rape and even big scandals take place, then what is the remedy? Who has to be dismissed? A number of bomb explosions and murders have taken place in Delhi in the recent past. These things are happening right under the nose of the Central Government. There were serious law and order problems in many areas of Delhi like Najafgarh. But did the Congress step down? Even though there is no one to dismiss it, does it have the moral right to continue in office?

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN (Andhra Pradesh): We are not discussing about Jammu and Kashmir now.

SHRI S. MUTHU MANI: I am just citing it as an example. We know that the situation in Jammu and Kashmir is not congenial for holding elections. But the Government have to say in clear terms as to how long it will take to bring back normalcy in the State. If terrorism could be contained in Punjab, it could be done in Jammu and Kashmir also. There seems to be some confusion in the mind of the Central Government ... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: The law and order problem is there in Tamil Nadu also.

SHRI S. MUTHU MANI: The Central Government is responsible for this.

SHRI V. NARAYANASAMY: There was a bomb explosion at the RSS headquarters. Terrorism has started in Tamil Nadu also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SING): Mr. Narayanasamy, why are you wasting the time of the House?

SHRI S. MUTHU MANI: All along, the Centre has only been talking about Pakistan's involvement in training militants and supplying arms to them. It is shameful that we have to look up to America to threaten Pakistan by declaring it a terrorist State. Why don't you pay them in the same coin? Is it not political foolery to think that the U.S.A. will do anything in our favour even after it has poked its nose into our cryogenic engine deal with Russia?

I also want to submit that the Congress Government has always tried to throttle democracy by preventing the electoral process. That is why by-elections to the Palani Lok Sabha Constituency and the Ranipet and Perumudurai Assembly Constituencies were repeatedly postponed by the Election Commission at the behest of the Centre. Whenever the Congress is certain of losing the election in a constituency, the election is postponed thus scuttling the democratic process. In the by-elections in Tamil Nadu, the Congress is going to lose even its deposit because the people of these constituencies can pay back the Congress only this way for preventing their right to choose their representatives.

Therefore, I would urge upon the Central Government to tell us in clear terms as to what it proposes to do and whether they have set a target to bring back normalcy in Jammu and Kashmir. I also want an assurance from them that they would start the electoral process in the other four States immediately.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1993 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ ही जो अन्य राज्यों के संबंध में विनियोग विधेयक है उनका भी समर्थन करते हुए इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह इसलिए भी आवश्यक है कि बहुत विस्तार से चर्चा उन पर हो चुकी है जब कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का मामला आया था और उसके पहले भी इस प्रश्न पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी हमारे सम्मानित साथी बार-बार यह कहते हैं उधर बैठे हुए लोग कि राष्ट्रपति शासन का कोई औचित्य नहीं है। इसके पहले चुनाव हो जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि जो वास्तविकता है उसको हम जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

उन परिस्थितियों के पश्चात् आज जब यहां पर विनियोग विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो यह भी देखना चाहिए कि आज की परिस्थिति में और पहली परिस्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में 6 दिसम्बर को संविधान के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध जो कार्य हुआ और जिस तरह से हमारे बीजेपी के भाइयों ने दूसरे अपने साथियों से मिलकर, संगठनों से मिलकर वहां पर ढांचा गिराया वह ठीक नहीं था। मुझे स्मरण आता है मैं वाराणसी भी गया, कानपुर भी गया और प्रदेश के और इलाकों में भी गया, वहां की जो स्थिति थी उसको देखा और उस स्थिति के बाद फिर दूसरे राज्यों में भी साम्प्रदायिकता का तनाव फैला, दंगे हुए, मानवता कराहने लगी। संविधान की मर्यादा को धूल में मिलाने का काम किया है इन लोगों ने। जब केन्द्र की सरकार ने देखा कि संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत इन राज्यों में शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की और राष्ट्रपति शासन लागू किया। इसका औचित्य था। जो ये लोग कहते हैं कि औचित्य नहीं था राष्ट्रपति शासन लागू करने का तो यह उनका कहना निरर्थक है, निराधार है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

जो इसकी वकालत कर रहे हैं उन्होंने ही संविधान की हत्या की है। जब देखा कि संविधान के मुताबिक ये सरकारें काम नहीं कर रही हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था की गई। उसका विरोध किया गया इनके द्वारा। जो विनियोग विधेयक आया है यह इस बात का सबूत है कि सचमुच में यह क्या कर रहे थे। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि इस विधेयक को पास करा कर हम अधिकार क्यों दें तो मैं कहना चाहता हूं विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, कृषि को महत्व देना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहिए, सूखे से निपटना चाहिए, जो हमारे बुनकर हैं उनकी समस्या है और दूसरे समाज के लोगों की समस्या है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये सब काम कैसे कर पायेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक जिले सूखे से प्रभावित हैं। लोग भूखों मर रहे हैं, आतंकवाद और अशांति का वातावरण बना हुआ है क्योंकि यह सरकार लोकतंत्र के तरीके से सत्ता में आई है भले ही अल्पमत में हो, सत्ता में आई प्रदेश में विकास का काम करना इसका काम है। इसके सामने दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता विकास का है और दूसरा रास्ता विनाश का है। कांग्रेस पार्टी का रास्ता विकास का है, लोकतंत्र का है, सर्व धर्म समभाव का है, लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करने का है, मानव को मानव समझने का है और विदेश में भी अपनी स्थिति को ठीक से रख कर अपने देश का सर्वांगीण विकास करने का है। दूसरा रास्ता है विनाश का।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

इस विनाश के रास्ते पर वे लोग ही ले जाते हैं जो साम्प्रदायिकता फैलाते हैं, तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। आप

जो यह कहते हैं कि हम दलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं यह तो आप ही कर रहे हैं । लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या आप लोग कर रहे हैं । जो हमारे जनता दल के लोग हैं, राष्ट्रीय मोर्चा के लोग हैं, नेता लोग हैं ये लोग जिम्मेदार हैं । आप ही लोगों ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लाकर बैठा दिया । उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इन लोगों ने साम्प्रदायिकता की आग फैला दी । समाज में जो सौहार्द था उसको बिगाड़ने का काम किया । ये लोग इससे बरी नहीं हो सकते । जो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया तो वहां पर लोक तंत्र है और वहां पर एन्टी डिफेक्शन बिल बना हुआ है ।

उस बिल के आधार पर तय किया जा सकता है । एक्ट बना हुआ है । आप उसके अन्दर कार्यवाही कर सकते हैं । लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप तोड़ने की बात करते हैं । लेकिन तोड़ने का काम किसने किया ? आप तो । 11 महीने के अन्दर टूट गये । क्या हमने आपको तोड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा था ! आपके दल में कोई सिद्धान्त नहीं था, जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं था, जिनके सामने केवल अवसरवादिता की बात थी उन्हीं लोगों ने अपने दल को तोड़ने का काम किया । इसलिए तोड़ने की बात बिल्कुल निरर्थक है ।

उसके साथ-साथ एक बात यह भी कहना चाहता हूं । यह कांग्रेस पार्टी का सवाल है, सरकार का सवाल है । बहुत स्पष्ट बात है कि सामाजिक न्याय की बात और सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में कांग्रेस पार्टी और सरकार सदैव सजग रही है, काम करते रहे हैं । लेकिन कुछ लोग सामाजिक न्याय के नाम पर इस देश में नाटक कर रहे हैं । सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं . . . (व्यवधान) ।

श्री महेश्वर सिंह : बीच में आप दल छोड़कर कांग्रेस में क्यों गये ?

श्री राम नरेश यादव : हम असलियत को समझते थे । हमने सोचा कि राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल अपने स्वार्थों के आधार पर, सिद्धान्तहीनता के आधार पर, सत्ता में आना चाहते हैं, वे लोग न तो देश को चला सकते हैं और न ही अपने दल को चला सकते हैं, वे तो विनाश के रास्ते पर चलेंगे, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया । इसलिए मैं कहता हूं कि ये आज सामाजिक न्याय का नाटक रच रहे हैं और न्याय रथ की बात करते हैं कहते हैं कि जब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो जाएगी तब तक यहां नहीं आएंगे । ये सामाजिक न्याय का रथ नाम से वी. पी. सिंह जो नाटक रच रहे हैं यह देश के लिए विनाशकारी है । इनके नेता कहते हैं कि 14 वर्ष के बाद राम वापस आ गये थे, वे भी वापस आ जाएंगे । आप तो 11 महीने में ही चले गये थे । अब फिर बनवास करने के बाद वापस आने वाले नहीं हैं । सामाजिक न्याय का रथ हांकने वाले जब उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे तो देश की जनता जानती है कि किस तरह से पिछड़े वर्गों के साथ व्यवहार किया गया । गौतम जी जानते हैं, माथुर साहब जानते हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का गला घोंटा गया था । कितने ही पिछड़े वर्गों के लोग, हरिजन और माइनोरिटी के लोग मारे गये थे । यह देश की जनता भूली नहीं है । आज सामाजिक न्याय का नाटक रचा जा रहा है । प्रधान मंत्री की कुर्सी पर आने के बाद इन्होंने अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ जो अन्याय किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । उन दिनों राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो प्रमोशन होती थी उसको रोकने का काम इन्होंने किया था । आज ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं ।

श्री शिवचरण सिंह (राजस्थान) : इसमें रोड़ा कौन अटका रहा है ?

श्री राम नरेश यादव : असलियत को सुनिये । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस विनियोग विधेयक में समाज कल्याण की बात भी कही गई है । उसके लिए पैसा रखा गया है । जब अनुसूचित जातियों के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में गये तो उसकी परवाह न करके श्री वी. पी. सिंह ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में कोई प्रमोशन नहीं होने दी । आज वही सामाजिक न्याय का नाटक रच रहे हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे साथी कहते हैं कि आरक्षण में कौन रोड़ा अटका रहा है ?

मैं उधर बैठे हुए लोगों से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वे जरा अपने सीने पर हाथ रखकर देखें कि उनका इरादा क्या था ? क्या लागू करने का इरादा था ? मैं कहना चाहता हूं कि नहीं था । क्यों नहीं था ? इसलिये कि चार-पांच दिन पहले इसी सदन में आरक्षण का मामला आया । उस समय यह बात आयी कि अगर इरादा था तो पहला काम यह होना चाहिये था कि पहले सूची बना ली जाती, सारे राज्यों के पिछड़े वर्गों की सूची और सूची बनाने के बाद इसकी घोषणा करते तब आप लागू कर सकते थे । लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी जो सम्मानित सदस्य कह रहे थे, उड़ीसा में जनता दल की सरकार है । वेस्ट बंगाल में हमारे वाम पंथी भाईयों की सरकार है । ये लोग उनके साथ थे, मोर्चे में शामिल थे । लेकिन उड़ीसा में आज तक यह सूची नहीं बनायी गयी । वर्तमान सरकार ने समस्त कल्याण मंत्रियों की बैठक बुलाकर, मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर बैठक की और तब जाकर कमीशन बनाने का निर्णय लिया । आप कहते हैं कि कौन रोड़ा अटका रहा है । . . . (व्यवधान) . . . इसमें कांग्रेस पार्टी रोड़ा नहीं अटका रही है । रोड़ा अटका रहे हैं आप और आपकी राज्य सरकारें । अगर राज्य सरकारें इसको नहीं करती हैं तो फिर आरक्षण कैसे लागू होगा ? जब से यह सरकार सत्ता में आयी है यह इस दिशा में लगी है । बराबर चाहती है कि काम पूरा हो जाय । साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाने से किसने रोका था ? अगर मन में सामाजिक न्याय की भावना हो, पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने और पिछड़े वर्ग के हित की चिंता थी तो पिछड़ा वर्ग विकास निगम क्यों नहीं बनाया ? क्यों नहीं ऐसे कानून बनाये जिससे हमारे समाज के गरीब तबके के लोग जो आर्थिक दृष्टि से गरीब लोग हैं . . . (व्यवधान) . . .

श्री शिव चरण सिंह : वित्त आयोग ने 20 करोड़ रुपये दिये, कहां खर्च किये बतलाइये ?

श्री राम नरेश यादव : 200 करोड़ रुपये है, आपको गलतफहमी है । यही सामाजिक न्याय का नाटक है जो आप कर रहे हैं । लेकिन देश की जनता इस नाटक के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है, यह बात साफ हो गयी है ।

साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं । ये कह रहे थे कि राज्यपालों की नियुक्ति पोस्टिंग, ट्रांसफर इस प्रकार की जा रही है जैसे आई० ए० एस०, नौकरशाहों की होती है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो यह नाटक कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास है, डेमोक्रेसी में विश्वास है । इस देश में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने और देश की जनता पर उसको आस्था है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नरसिंह राव अगर चाहते . . . **(व्यवधान)** . . . जरा सुन लीजिये । अगर यह सरकार चाहती तो सत्ता में आने के एक महीने के अंदर ही, दो महीनों के अंदर ही सारे राज्यपालों को इधर से उधर कर देती लेकिन आपको साधुवाद देना चाहिये नरसिंह राव को जो उन्होंने सत्ता में आने पर किसी राज्यपाल को हटाने का काम नहीं किया । . . . **(व्यवधान)** . . . कब हटाया ? देखिये रेड्डी साहब जनता दल के थे, हमारे नहीं थे । सोचिये ।

श्री शारदा महन्ती (उड़ीसा) : आप भी जनता दल के थे ।

श्री राम नरेश यादव : जरा सुनिये । मैंने बता दिया आपको । सुनिये ।

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान :
हममें तुममें बहुत फर्क है,
तुम क्यों आजमाना चाहते हो,
हम गद्दी छोड़कर आए हैं,
तुम गद्दी पाना चाहते हो ।

श्री राम नरेश यादव : जरा सुन लीजिए । आप देखिये कि उड़ीसा के राज्यपाल मधुकर धिगे, वे आज भी राज्यपाल हैं । धनिक लाल मंडल आज भी राज्यपाल हैं । आपको साधुवाद देना चाहिये । साधुवाद यह देना चाहिये कि एक कलम की नोक पर वी० पी० सिंह जी जब सत्ता में आये तो उन्होंने सारे राज्यपालों का इस्तीफा ले लिया था । किसने लिया था ? जरा याद कीजिये ।

श्री महेश्वर सिंह : हिमाचल प्रदेश में कितने राज्यपाल बदले आपने ?

श्री राम नरेश यादव : इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात जब कही जाती है कि यह संवैधानिक दायित्व है । अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह उस कमी को पूरा करे । और जैसे भी बढ़िया तरीके से हो सके राज्यपालों की नियुक्ति करें । इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है । इसके साथ साथ महोदय, स्थानांतरण के बारे में बहुत नहीं कहूंगा क्योंकि स्थानांतरण तो सरकार का काम है, वह करती रहती है, प्रशासन कैसे अच्छा चले, इसलिए यह काम सरकार का है । राज्यपाल ने जहां उचित समझा वह किया । लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे बी० जे० पी० के लोगों का दफ्तर ही बन गया था शासन चलाने का और इस तरह से उन्होंने शासन चलाया । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस तरह से लगता था जैसे यह भारतीय जनता पार्टीमय प्रशासन को करना चाहते हैं लेकिन प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन भी बहुत समझदार है । वह जानता है और जान कर के इनकी छाप नहीं आने दी । प्रशासन ने बहुत विवेक से काम किया । हो सकता है कुछ चीजें समाज में रहने के नाते हो जाती हैं लेकिन इस तरह की जो बात कही जाती है वह निरर्थक और बेबुनियाद है । मैं इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं । अभी सत्या बहिन जी बोल रही थीं, उन्होंने उसको वहीं पर छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ाया । डा० बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में हरिजन, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में भी विधेयक में बात आई है । इसलिए जब इस तरह की बात आ रही है तो जब बी० जे० पी० की सरकार थी तो उसने एक इंच भी उस यूनीवर्सिटी के मामले को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया । हमें तो खुशी है कि सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया है । उसके लिए औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही हैं । यह सब इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम विनियोग विधेयक के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथी कहते हैं कि क्या स्थिति बदली है । अब आप जरा कल्पना कीजिये । शान्ति व्यवस्था, अब वह दंगे, वह तनाव, उस तरह की स्थिति हमारे प्रदेश में नहीं है, न उस तरह का तनाव और अराजकता है । ठीक है, इतना बड़ा प्रदेश है 14 करोड़ की जनसंख्या है, पूरे देश की जनसंख्या का एक बटा छः हिस्सा जिस प्रदेश में रहता हो वहां कुछ न कुछ मर्डर, इस तरह की चीजें होंगी ही लेकिन जब से 356 लागू किया गया था तब से ले कर आज तक इस प्रदेश की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत सुधार आया है, हर क्षेत्र में सुधार आया है । जब सुधार आया है तो उसके आधार पर निर्माण का काम करना भी जरूरी है । क्योंकि प्रश्न खड़ा होता है कि जहां पर सामाजिक तनाव है, जहां पर साम्प्रदायिक दंगा है, जहां पर अशान्ति है वहां पर विकास का कोई काम नहीं हो सकता है । इसलिए जब से स्थिति में सुधार आया है तब से विकास के काम जो पहले रुके हुए थे, उस दिशा में बहुत कुछ कदम उठाये गये हैं और सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील भी है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ला एंड आर्डर की सिचुयेशन में चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, बहुत कुछ परिवर्तन आया है, तब्दीली आई है । उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सूखे की चुनौती भी आई है । सूखा एक प्राकृतिक आपदा है । अगर सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं होती तो शायद यह स्थिति नहीं आती । पीने का पानी का भी संकट है । उत्तर प्रदेश में 6000 हैंडपंप लगाने का फैसला किया है, 780 करोड़ रुपया सूखे से निपटने के लिए अभी राज्यपाल ने मीटिंग बुला कर किया है । यह भी अपनी जगह पर सही है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है । 39 जिलों का दौरा किया है । एक जरूरी चीज यह भी कमेटी बना कर देखने की कि

इस दिशा में सम्पूर्ण में कहां कहां काम हो रहे हैं, उस दिशा में कदम उठाने का काम किया है । इसलिए जिस तरह से सूखे के लिए कदम उठाना चाहिये उसको उठाने के प्रयास किये जा रहे हैं । सरकार उसमें लगी है । मैं यह भी जानता हूं कि बिजली की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है । लेकिन एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी गन्ने की कीमत का सवाल आया था । मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जिस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय प्रदेश में 250 करोड़ रुपया किसानों का बकाया था और आज हम यहां पर जब विनियोग विधेयक पर बहस कर रहे हैं तो सहकारी निगमों की चीनी मिलों पर 59 करोड़ रुपया बकाया है और निजी चीनी मिलों पर 22 करोड़ रुपया बकाया है । अभी 25 करोड़ रुपया और भी हमारे प्रदेश की सरकार ने गन्ना किसानों को दे कर जो निगमों पर और दूसरी सहकारी फैक्टरियों पर बकाया था उसको पूरा करने की दिशा में प्रयास किया है ।

फिर भी अभी 34 करोड़ रुपया बकाया है निगमों का और जो निजी क्षेत्र के हैं उनमें 22 करोड़ 26 लाख रुपया बकाया है । उसके बारे में भी जब समीक्षा की गयी तो राज्यपाल ने बैठ करके निर्देश जारी किया निजी मिलों को कि वे जल्दी से जल्दी इसका भुगतान करायें । इस दिशा में भी सरकार रुचि लेगी हमें विश्वास है । मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं क्योंकि आपके अंतर्गत मामला है, आप भी इसको देखिए कि जल्दी से जल्दी सारा गन्ने के बकाये का भुगतान किया जाए क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि हमें चुनाव में जाना है, चुनाव में तो जाना ही है, चुनाव से तो कतराने का कोई सवाल है ही नहीं, चुनाव के लिए सारी तैयारी भी है कांग्रेस पार्टी की, यह भी बात अपनी जगह पर साफ है लेकिन यह भी अपनी जगह पर है कि किसानों की समस्याओं की तरफ भी विशेष ध्यान जाने की जरूरत है । इसलिए इस दिशा में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है ।

सिंचाई योजनाओं का भी सवाल है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के भाई बैठे हैं । राजघाटी बांध योजना दोनों राज्यों की मिली-जुली योजना है । पिछले दिनों जब बी॰जे॰पी॰ की सरकार थी उन्होंने इस बांध की योजना को जिससे कि सिंचाई होती और सिंचाई के आधार पर—उत्तर प्रदेश में यह सिंचाई 1.41 लाख हेक्टेयर में होती और 1.21 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में होती, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था 1993-94 का वह 15 करोड़ रुपये है और उसके आगे आने वाले दिनों का 15 करोड़ रुपये है और पिछला अब तक का रुपया उस बांध को पूरा करने की दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं लगाया था, किन्तु अभी जब राष्ट्रपति शासन हुआ तो उसके बाद बैठक करके उस योजना को भी पूरा करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल था उत्तर प्रदेश ने अपने कोटे का सारा रुपया दे दिया है, 4 करोड़ बकाया है । इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर यह काम कैसे आगे बढ़े । कैसे जुलाई 1994 तक यह पूरा होगा । इस सवाल को लेकर अभी एक अथारिटी, एक प्राधिकरण की भी योजना की गयी है । यह जल्दी से जल्दी कार्यक्रम भी बनकर तैयार हो जाएगा ताकि दोनों राज्य मिल-जुलकर उस योजना को तैयार कर सकें । जहां पर सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा वहीं पर इससे बिजली भी बन सकेगी । सिंचाई के साधन दोनों आधार पर तैयार हो सकेंगे यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

साथ ही साथ एक और भी बात है कि जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ये जो सारी योजनाएं हैं इनको बहुत तेज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि सूखे का मामला है, जनता से संबंधित है । गांव के लोग बड़े-बड़े शहरों की तरफ भागने की स्थिति में हो रहे हैं । कोई रोजी-रोटी का साधन नहीं रह गया है और अभी कितने जिले सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की स्थिति में हैं । इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर गांवों की तरफ चलाने वाले निर्माण कार्य होने चाहिए । वैसे तो सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में 3-4 सौ करोड़ रुपये रखे हैं, तिगुने कर दिये हैं और उसी आधार पर प्रदेश ने भी काफी पैसा रखा है लेकिन जब तक . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): कृपया समाप्त करिये ।

श्री राम नरेश यादव : मैं बंद कर रहा हूं । मैं तो सर, नहीं बोलना चाहता था लेकिन बोल गया क्योंकि कुछ पहले से ही बात गड़बड़ हो गयी ।

एक कमेटी बना दी गयी है हमारे प्रदेश में । वह अधिकारियों की है । देखेगी कि सूखे से कैसे निपटा जाए । लेकिन उसके साथ साथ आपको भी देखने की जिम्मेदारी है । किसी भी कीमत पर चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, जनजीवन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू करना चाहिए और उनकी समीक्षा करनी चाहिए । अब समय नहीं है । बैठकर गंवाने का समय नहीं है । इसलिए आप स्वयं दिलचस्पी लेकर उसको करने की दिशा में सक्रिय हो जाइये तब हम समझते हैं कि निश्चित रूप से यह मामला हल हो सकेगा ।

इसके साथ ही साथ एक जो प्राइमरी स्कूल—महोदय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल है बेकारी का । हमारे उधर के साथी कह रहे थे कि बेकारी बहुत बढ़ रही है । अध्यापकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध था, नहीं खुला था । बी॰जे॰पी॰ की सरकार के समय में भी नहीं खुला था । लेकिन इधर दो चीजें हुई हैं । एक तो विशेष अभियान अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के कोटे को पूरा करने की दिशा में, दूसरा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मान्यताओं के लिए भी हमारे प्रदेश में कमेटियां बना दी गयी हैं । . . . जिनके कि अब साक्षात्कार होने वाले हैं । इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि विज्ञापन हो गये थे । इस तरह की स्थिति होगी, तो प्रदेश की हालत खराब होगी ।

5.00 P. M.

मैं इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूं, हमारे जो उधर बैठे हुए भाई हैं, जिन लोगों ने प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव को

बिगाड़ने का काम किया, और अभी जो स्थिति में परिवर्तन, बदलाव आ रहा है, हमें विश्वास है—वैसे तो उनकी नीति ही दूसरी है—धर्म को राजनीति से जोड़ कर सत्ता करने की, लेकिन अब वह समय चला गया । अब वह समय आने वाला नहीं है । अपने बहुत विनाश के रास्ते पर प्रदेश और देश को ले जाने का काम किया है ।

इसलिए आइये, एक बार फिर आने वाले दिनों में जो प्रदेश के सामने, देश के सामने चुनौती है, सूखे की, बेकारी की, गरीबी की—उसको हल करने की दिशा में जो प्रदेश सरकार कदम उठा रही है, उसको पूरा करने की दिशा में आप भी समर्थन करते हैं । वैसे हम चाहते हैं कि जहां राजनीति आ जाती है और जहां पर एक संकीर्ण राजनीति आ जाती है, तो सचमुच में वहां पर स्वार्थ आ जाता है और जब स्वार्थ आ जाता है, तो विकास की तरफ ध्यान नहीं जाता है और जब विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर दूसरी दिशा में ध्यान जाता है, तो विनाश का रास्ता तैयार हो जाता है ।

इसलिए उस विनाश के रास्ते पर जाकर के प्रवेश जिस तरह से बरबाद और तबाह हुआ है, हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनौती आ रही है चुनाव की, कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर, बुनियाद के आधार पर खड़ी रहेगी और खड़ी रह कर के इस बात को साबित कर देगी कि इन राज्यों में किसी दूसरे की स्थिति अच्छी होने वाली नहीं है, कोई आने वाली नहीं है, चाहे बी० जे० पी० के लोग हों या जनता दल के लोग हैं, कांग्रेस ही आयेगी और एक बार फिर अपने राष्ट्रीय चरित्र को जो पिछले दिनों इन लोगों ने बिगाड़ने का काम किया था, देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA.

Motion extending the time for presentation of the report of the Joint Committee inquiring into Irregularities in Securities and Banking Transactions

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :

> "I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 25th August, 1993, has adopted the following motion extending the time for presentation of Report of the Joint Committee to enquire into irregularities in securities and banking transactions :—
>
> **MOTION**
>
> "That this House do extend upto the last day of the Winter Session, 1993, the time for presentation of the report of the Joint Committee to enquire into irregularities in securities and banking transactions."

(1) THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

(2) THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

(3) THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1997.

(4) THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993—Contd.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Mr. Vice-Chairman, Sir, of late it has been the practice with the Congress (I) Government at the Centre to bring in things in wholesale, as has been done in this case. The financial allocations to four States, one the biggest, the other the largest, the third about the smallest and the fourth of a medium size, have been brought before this House for being passed. Rabindra Nath Tagore has a poem in his name : which means, knowing everything we took to poison. For the leftist party it was something like that. The President's rule was more than poison which really led to a complete rot in the body politic of the country. Except during the emergency raj the left parties never supported the President's rule. Article 356 of the Constitution has been used frequently. This was supported for the second time, practically, in a wholesale manner. First, it was the U.P. and then the other States like Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh.

It was supported by the Left with the idea that it would be possible to fight the poison of communalism that was being spread by the ruling Bharatiya Janata Party in these States. After December 6, the first State where President's Rule was proclaimed was U.P., because of the failure of the U.P. Government in defending the Babri Masjid, which was demolished in more than six hours of carnage in that holy city, as it is considered to be by the Hindus, and it was organizations donning the name of Hinduism which carried out this demolition which blackened the name of our country before the world. Therefore, since the U.P. Government was directly responsible for the demolition and as the other three States continued with their strengthening of the conspiracy for this demolition, then the Left supported imposition of President's Rule in all the four States. Now it is seen that the Government of India and the U.P. Government have taken steps regarding the